

वलिफुल डफिऑल्टर हेतु समाधान समझौता: RBI

प्रलमिस के लयि:

ःण वसूली नयायाधकिरण (DRTs), NPA, नेशनल ँसेट रकिंसट्रक्शन लमिटिड (NARC), भारतीय रज़िरव बैंक (RBI), भारत ःण समाधान कंपनी लमिटिड, SARFAESI अधनियिम, दवाला और शोधन अक्षमता संहति (IBC), बैंकिग वनियिमन अधनियिम, 1949

मेन्स के लयि:

NPA की चुनौतयिँ, NPA संकल्प के प्रावधान

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में **भारतीय रज़िरव बैंक (Reserve Bank of India- RBI)** ने प्रस्ताव/सर्कुलर पेश किया है, जसिमें वलिफुल डफिऑल्टर/इरादतन चूककर्त्ताओं और धोखाधड़ी में शामिल कंपनयिँ को समाधान समझौता या तकनीकी राइट-ऑफ का वकिल्प चुनने की अनुमति दी गई है।

- यह सर्कुलर ँसे मामलों से नपिटने में बैंकों और वतित कंपनयिँ हेतु दशिा-नरिदेश प्रदान करता है।

प्रमुख बडि

- **सर्कुलर :**
 - **समाधान समझौता और तकनीकी राइट-ऑफ:**
 - देनदारों के खलिाफ चल रही आपराधकि कार्यवाही के बावजूद बैंक और वतित कंपनयिँ वलिफुल डफिऑल्टर्स या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों हेतु समाधान समझौता या तकनीकी राइट-ऑफ कर सकती हैं।
 - RBI का सर्कुलर यह सुनश्चिति करते हुए इन नपिटान को सक्षम बनाता है कआपराधकि कार्यवाही अप्रभावति रहे।
 - **नए ःणों हेतु कूलगि पीरयिड:**
 - बैंकों को उन उधारकर्त्ताओं को नए ःण देने से पहले 12 महीने की न्यूनतम कूलगि पीरयिड लागू करने की आवश्यकता होती है, जनिहोंने समाधान समझौता किया है।
 - कूलगि पीरयिड कृषःण के अलावा अन्य जोखमिों पर भी लागू होता है, वनियिमति संस्थाओं के पास उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदति नीतयिँ के आधार पर दीर्घकालकि कूलगि पीरयिड नरिधारति करने का अधिकार होता है।
- **चुनौतयिँ:**
 - **सार्वजनकि धन की संभावति हानि:**
 - बैंकों ने पूर्व में समाधान समझौता को मंजूरी दे दी है, जसिके परिणामस्वरूप बकाया भुगतानों पर भारी कटौती के कारण काफी नुकसान हुआ है।
 - हालाँकि समाधान समझौता की अनुमति देने से बड़े धोखेबाजों और बकाएदारों को बढ़ावा मलि सकता है।
 - समाधान समझौते की अनुमति देने से NPA कृत्रमि रूप से कम हो जाएगा, भले ही वत्तितीय नीतयिँ अस्थरि हों।
 - कुल सकल NPA में सार्वजनकि क्षेत्र के बैंकों का बड़ा हसिंसा है। सार्वजनकि क्षेत्र के बैंकों का NPA कुल NPA का लगभग 72% हैं, बाकी नजिी क्षेत्र के बैंकों, वदिशी बैंकों और छोटे वत्तितीय संस्थानों का NPA है।
 - PSB को सरकार द्वारा पुनर्पूज्ीकृत किया जाता है जसिसे जनता के पैसे का नुकसान होता है।
 - **ःण वसूली नयायाधकिरण (DRT) के मुद्दे:**
 - ँसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ बैंकों ने ःण वसूली नयायाधकिरण (Debt Recovery Tribunals- DRT) को सूचिति कयि बनिा समाधान समझौता किया।
 - **एरनाकुलम में DRT** ने ँक ँसी स्थतिदिखी जसिमें ँक समझौता किया गया था, लेकनि बैंक सहमतडिकिरी को सुरक्षति करने में वफिल रहा और काफी समय तक DRT से नपिटान को गुप्त रखा गया।
 - यह ँसेट रकिंसट्रक्शन कंपनी और IBC दोनों के महत्त्व को कम कर रहा है।
- **समाधान समझौते के लाभ:**
 - लागत कम करना:

- समाधान समझौता बकाए की शीघ्र वसूली की सुविधा प्रदान करता है और कानूनी खर्चों और अन्य संबंधित लागतों को कम करके बैंकों की लागत को बचाता है।
- अंतरनिहित उद्देश्य कम समय-सीमा के भीतर अधिकतम संभव सीमा तक देय राशिकी वसूली करना है।
- तकनीकी राइट-ऑफ और NPA में कमी:
 - बैंकों ने पछिले एक दशक में गैर-नष्टिपादित परसिंपत्तियों (NPA) को कम करने के लिये राइट-ऑफ का उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप NPA का स्तर कम दर्ज किया गया है।
 - राइट-ऑफ का उपयोग लेखांकन और कर उद्देश्यों के लिये किया गया था लेकिन चिंताएँ मौजूद हैं कि इस अभ्यास ने बैंकों और कॉर्पोरेट्स को अपनी ऋण बुक को "एवरग्रीन" बनाए रखने की अनुमति दी है।
- समाधान समझौते का उद्देश्य अनपेक्षित बाज़ार जोखिमों के परिणामस्वरूप गैर-नष्टिपादित परसिंपत्तियों (NPA) का सामना करने वाली आर्थिक रूप से बोलिबल कंपनियों को महत्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान करना है।

गैर-नष्टिपादित परसिंपत्तियाँ:

■ परिचय:

- NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट रूप से हैं या मूलधन या ब्याज के निर्धारित भुगतान पर बकाया हैं।
 - ज्यादातर मामलों में ऋण को गैर-नष्टिपादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब 90 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिये ऋण भुगतान नहीं किया जाता है।
 - कृषिकी यदायक-फसली मौसमों के लिये मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- सकल NPA:
 - सकल NPA उन सभी ऋणों का योग है जो व्यक्तियों द्वारा चूक किये गए हैं
- कुल NPA:
 - कुल NPA वह राशि है जो प्रावधान राशिको सकल गैर-नष्टिपादित परसिंपत्तियों से घटाए जाने के बाद प्राप्त होती है।

■ NPA से संबंधित कानून और प्रावधान:

- बैड बैंक:
 - भारत में बैड बैंक को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (NARC) कहा जाता है।
 - यह NARC एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर काम करेगी।
 - यह बैंकों से खराब ऋण खरीदेगा, जिससे उन्हें NPA से राहत मिलेगी। इसके बाद NARC संकटग्रस्त ऋण खरीदारों को दबावग्रस्त ऋण बेचने का प्रयास करेगा।
 - सरकार ने पहले ही इन तनावग्रस्त संपत्तियों को बाज़ार में बेचने के लिये इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) की स्थापना की है। तदनुसार, IDRCL उन्हें बाज़ार में बेचने का प्रयास करेगी।
- वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002:
 - सरफेसी अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशिकी वसूली के लिये संपार्षक संपत्ति पर कब्ज़ा करने और उन्हें बेचने की अनुमति देता है।
 - यह सुरक्षा हितों के प्रवर्तन के लिये प्रावधान प्रदान करता है तथा बैंकों को डिफॉल्ट उधारकर्त्ताओं को डेमांड नोटिस जारी करने की अनुमति देता है।
- दवाला और दवालयिपन संहिता (IBC), 2016:
 - IBC भारत में दवालयिपन और दवालयिपन समाधान प्रक्रिया के लिये एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है।
 - इसका उद्देश्य तनावग्रस्त संपत्तियों (स्ट्रेस एसेट) के समयबद्ध समाधान को सुगम बनाना और लेनदारों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।
 - IBC के तहत एक देनदार या लेनदार एक डिफॉल्ट उधारकर्त्ता के विरुद्ध दवाला कार्यवाही शुरू कर सकता है।
 - प्रक्रिया की देख-रेख के लिये यह राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) और भारतीय दवाला और शोधन अकषमता बोर्ड (IBBI) की स्थापना करता है।
- बैंकों और वित्तीय संस्थान (RDDBFI) अधिनियम, 1993 के कारण ऋण की वसूली:
 - RDDBFI अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की वसूली के लिये शीघ्र अधिनिरणय तथा वसूली हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) की स्थापना करता है।
 - DRT के पास एक नरिदषिट सीमा से अधिक बकाया ऋणों की वसूली से संबंधित मामलों को सुनने और नरिणय लेने की शक्ति है।
- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872:
 - भारतीय अनुबंध अधिनियम उधारदाताओं और उधारकर्त्ताओं के बीच संवदिात्मक संबंध को नयित्तरति करता है।
 - यह ऋण समझौतों, नयिमों एवं शर्तों, डिफॉल्ट तथा भुगतान न करने की स्थिति में उधारदाताओं के लिये उपलब्ध उपायों हेतु कानूनी ढाँचा स्थापति करता है।

आगे की राह

■ वसूली की कार्यवाही और सहमति डिकिरी:

- समाधान समझौते पर बातचीत करते समय बैंकों को न्यायिक मंचों के तहत चल रही वसूली कार्यवाही पर वचिार करना चाहिये।
- नपिटान से संबंधित न्यायिक अधिकारियों से सहमति डिकिरी प्राप्त करने के अधीन होना चाहिये।

■ **NPA वसूली का महत्त्व:**

- जमाकर्त्ताओं और हतिधारकों के हितों की रक्षा के लिये NPA की वसूली महत्त्वपूर्ण है।
- समझौता नपिटान को न्यूनतम व्यय के साथ तथा कम समय सीमा के अंदर देय राशि की अधिकतम वसूली को प्राथमिकता देनी चाहिये।

■ **जनहति पर वचिार:**

- समाधान समझौते के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था होने के नाते बैंकों को उधारकर्त्ताओं के हितों पर कर-भुगतान करने वाली जनता के हितों पर भी वचिार करना चाहिये।

वलिफुल डफिऑल्टर:

- जब उधारकर्त्ता (व्यक्ति या कंपनी) भुगतान दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के बावजूद भुगतान करने के अपने दायित्व से चूक जाता है या जान-बूझकर ऋण न चुकाने का इरादा रखता है।
- जब पूंजी का उपयोग उस वशिष्ट उद्देश्य के लिये नहीं किया जाता है जिसके लिये वित्त प्राप्त किया गया था लेकिन ऋण लेने वाले द्वारा ऋण समझौते में परिभाषित उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्राप्त पूंजी का उपयोग किया जाता है।
- जब इस प्रकार के संदेह की स्थिति हो, जिसमें उधार लेने वाले ने धन की हेरा-फेरी की हो और उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिये नहीं किया गया है जिसके लिये उधार लिया गया था। इसके अतिरिक्त उसके पास ऐसी कोई संपत्ति उपलब्ध नहीं हो जो उसके द्वारा फंड के इस तरह के उपयोग को उचित ठहराती हो।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रलिमिस:

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर वचिार कीजिये: (2018)

1. पछिले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थिति करने के लिये मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का वलिय किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- सरकार ने क्रेडिट वसुतिार का समर्थन करने और गैर-नषिपादति परसिंपत्तियों (NPA) के लिये किये जाने वाले प्रावधानों से होने वाले नुकसान से नपिटने में मदद हेतु राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में पूंजी अंतर्वेशन का कार्य किया है।
- परंतु सरकारी बैंकों में पूंजी अंतर्वेशन का चलन किसी एक दशिा में वशिष्ट नहीं रहा है, यह बढ़ता- घटता रहा है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- फरवरी 2017 में केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भारतीय महिला बैंक और पाँच सहयोगी बैंकों के वलिय को मंजूरी दी थी। वलिय का उद्देश्य सार्वजनिक बैंक संसाधनों का युक्तकिरण, लागत में कमी, बेहतर लाभपरदता और जनता के लिये ब्याज की बेहतर दर के लिये धन की कम लागत तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उत्पादकता एवं ग्राहक सेवा में सुधार करना था। संसद ने सार्वजनिक बैंक के युक्तकिरण को प्रभावति करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक के साथ छह सहायक बैंकों का वलिय करने हेतु स्टेट बैंक (नरिसन और संशोधन) वधियक, 2017 पारति किया।

अतः कथन 2 सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस